

इसे वेबसाइट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 439]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 सितम्बर 2014—भाद्र 27, शक 1936

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2014

क्र. डी-15-30-2014-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 706-2423-चौदह-1, दिनांक 5 फरवरी 1969 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति, हनुमना के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मंडी प्रांगण घोषित करती हैः—

### स्थान

नगर परिषद्, मऊगंज (ग्राम घुरेहटा कला), तहसील मऊगंज, जिला रीवा के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 10.00 एकड़ भूमि  
का क्षेत्रः—

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	क्षेत्रफल (एकड़ में) (3)
1	3487/3699/2	10.00
	योग . .	10.00

### जिसकी सीमाएं

उत्तर में—मध्यप्रदेश शासन की भूमि.

दक्षिण में—श्री जगन्नाथ व श्री सूर्यभान की भूमि.

पूर्व में—मध्यप्रदेश शासन की भूमि.

पश्चिम में—सड़क.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2014

क्र. डी-15-30-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 18 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव।

Bhopal, the 18th September 2014

No. D. 15-30-2014-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare the following areas including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Hanumana has been established by this department's Notification No. 706-2423-XIV-1, dated 5th February 1969, shall be sub market yard namely:—

#### PLACE

An area of 10.00 Acre land of below mentioned Khasra number at Nagar Parisad Mouganj (Gram Ghurehta Kala) in Tehsil Mouganj of District Rewa:—

S. No.	Khasra No.	Area (In Acre)
(1)	(2)	(3)
1	3487/3699/2	10.00
Total . .		10.00

#### BOUNDED BY

**On the North by**— Government Land .

**On the South by**—Land of Shri Jagatnariyan & Shri Suryabhan.

**On the East by**— Government Land

**On the West by**—Road.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2014

क्र. डी-15-30-2014-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 706-2423-चौदह-1, दिनांक 5 फरवरी 1969 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी समिति हनुमना, जिला रीवा के निम्नलिखित क्षेत्र को उपमंडी क्षेत्र घोषित करती है:—

#### क्षेत्र

(1) नगर परिषद् मऊगंज (ग्राम घुरेहटा कला), तहसील मऊगंज, जिला रीवा की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र।

(2) उपमंडी प्रांगण से 5 किलो मीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्रः—

- (1) सुन्दर पुरवा, (2) गंज, (3) घुरेहटा देवराज, (4) तुर्की, (5) महेबा बाथ, (6) जमुई, (7) मऊ, बगदगा, (8) चक भाठी, (9) भाठी, (10) बरया, (11) तुरका, (12) कुसुड़ी, (13) मोर्चा अटारी, (14) उमरी, (15) उमरी माथौ, (16) पतेरी, (17) घुरेहटा कला, (18) उमरी श्रीपत, (19) हरई (20) घोरहा, (21) बरहटा, (22) देवरी, (23) सुकला, (24) निविहा, (25) पतेरी नारायण, (26) बेलहा, (27) गेडुहा, (28) कुसुड़ी, दूबान.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2014

क्र. डी-15-30-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 18 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 18th September 2014

No. D. 15-30-2014-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare that in the relation to the market yard *vide* this department notification Number 704-2423-XIV-1, dated 5th February 1969, the following area of Hanumana of District Rewa shall be sub-market area:—

#### AREA

- (1) An area within the limit of Nager Parishad Mouganj (Garm Ghurehta Kala) in Tehsil Mauganj of District Rewa.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the sub-market yard namely:—
  - (1) Sundar Purba, (2) Ganj, (3) Ghurehata Devraj, (4) Turki, (5) Maheba Bandh, (6) Jamui, (7) Mou Bagdara, (8) Chak Bhati, (9) Bhati, (10) Barya, (11) Turka, (12) Kusudi, (13) Morcha Atari, (14) Umari, (15) Umari Madho, (16) Pateri, (17) Ghurehta Kala (18) Umari shripat, (19) Harrai, (20) Ghorha, (21) Barhata, (22) Devri, (23) Sukla, (24) Niviha, (25) Pateri Narayan, (26) Belha, (27) Geduha, (28) Kusudi Duban.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.